

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-13) विभाग

क्रमांक: प.6(18)गृह-13/2007 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
समस्त उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक

राजस्थान

विषय:- राज्य में बाल विवाह आयोजनों पर प्रभावी रोकथाम हेतु।

जैसा कि आपको विदित है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 अनुसार बाल विवाह अपराध है। जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह जैसी कुप्रथा की रोकथाम हेतु अक्षय-तृतीया (आखातीज), पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अन्य सावों पर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाहों के आयोजन की संभावनाएं रहती हैं। अतः यह आवश्यक है कि बाल विवाह की रोकथाम हेतु निरन्तर निगरानी रख क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होना सुनिश्चित किया जाये।

गत वर्षों की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों (वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामसेवकों, कृषि पयवेक्षकों, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, महिला सुरक्षा सखी, शिक्षकों, नगर निकाय के कर्मचारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचो तथा वार्ड पंचो) के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर, आम जन को जानकारी कराते हुए जनजागृति उत्पन्न कर, बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही की जावें।

बाल विवाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है इस संदर्भ में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जन सहभागिता व चेतना जागृत करने हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाना आवश्यक है। प्रभावी कार्य योजना हेतु महत्वपूर्ण बिन्दू निम्न प्रकार है:-

1. जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, साथिन सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जाये।

2. ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी होते हैं यथा हलवाई, बैण्ड बाजा, पंडित, बाराती, टेंट वाले, ट्रांसपोर्टर इत्यादि से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेना और उन्हें कानून की जानकारी देना।
3. जन प्रतिनिधियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन करवाना।
4. ग्राम सभाओं में सामुहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करना व रोकथाम की कार्यवाही करना।
5. बाल विवाह रोकथाम हेतु किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता जैसे—स्वास्थ्य, वन, कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा विभागों इत्यादि के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जावे तथा इनके कार्मिकों को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने हेतु पाबन्द किया जाये।
6. विवाह हेतु छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर—वधु के आयु का प्रमाण प्रिन्टिंग प्रैस वालो के पास रहे अथवा निमंत्रण पत्र पर वर—वधु की जन्म तारीख प्रिन्ट किये जाने हेतु बल दिया जावे।
7. इस हेतु अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर जिला एवं उप खण्ड कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जावें जो 24 घण्टे क्रियाशील रहेगें तथा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नं. सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जावे।
8. बाल विवाह की रोकथाम हेतु 181 कॉल सेन्टर पर तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 100 नम्बर पर कॉल कर कभी भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।
9. विद्यालयों में बाल—विवाह के दुष्परिणामों व इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दिये जाने हेतु सभी स्कूलों को निर्देशित किया जावे।
10. सामूहिक चर्चा से मिली जानकारी के आधार पर गाव/मौहल्लों के उन परिवारों में जहाँ बाल विवाह होने की आशंका हो, समन्वित रूप से समझाया जाये। यदि आवश्यक हो तो, कानून द्वारा बाल विवाह को रोका जावे।

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है, कि वे बाल विवाहों की रोकथाम के संबंध में अपने—अपने क्षेत्रों में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जावे।

बाल विवाहों के आयोजन किये जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा-6 की उप धारा 16 के तहत नियुक्त "बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों" (उप खण्ड मजिस्ट्रेट) की जवाबदेही नियत की जावे एवं जिनके क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होने की घटना होती है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

बाल विवाह जैसी सामाजिक-कुरीति को रोकने के लिये इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें और की गयी कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग को भिजवाते हुए इस विभाग को भी यथा समय प्रेषित करावें।

भवनिष्ठ

(आनन्द कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, गृह, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
11. शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
12. आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
13. सम्बन्धित विभाग.....।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह